

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र *

क्रमांक 72/अ.सं./2415-198

यह प्रमाणित किया जाता है कि लोक कल्याण सेवा
संस्थान भरतपुर जिला भरतपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 27 माह मार्च सन् एक हजार नौ सौ पचास को
भरतपुर में दिया गया ।


9.3.58
(जी.बी.चिन्मारी)
रजिस्टार संस्थाएं
जिला अधिकारी
भरतपुर